



प्रेस नोट(पश्चिम जोन)

दिनांक – जुलाई 06, 2024

उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विकशन के तहत पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री विजय दुल के निर्देशन में पूर्व से चिन्हित वाद, गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अपराध नियंत्रण के क्रम में थाना बिठूर पर पंजीकृत मु0अ0स0 379/2022 एसटी नं0 95/2023 धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू कमल को माननीय न्यायालय ADJ-22 कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमें मे दोषसिद्ध होने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा -6 के अपराध मे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न कर पाने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस सराहनीय कार्य हेतु पुलिस उपायुक्त पश्चिम द्वारा पैरवी टीम को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार(प्रत्येक अराजपत्रित अधिकारी को 5 हजार रूपये) प्रदान किया जा रहा है।



"ऑपरेशन कन्विकशन"



थाना बिठूर पर पंजीकृत मु0अ0स0 379/2022 एसटी नं0 95/2023 धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू कमल को माननीय न्यायालय ADJ-22 कानपुर नगर द्वारा उपरोक्त मुकदमें मे दोषसिद्ध होने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा -6 के अपराध मे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर

पैरवी टीम:-

1. श्रीमती भावना गुप्ता (अभियोजक)
2. नि0 श्री अमरनाथ विश्वकर्मा (विवेचक)
3. हे0का0 685 विनोद कुमार (कोर्ट मोहर्र)
4. हे0का0 759 जितेन्द्र सिंह (पैरोकार)